



व्यापार योजना
आय सृजन करने वाली गतिविधि - बुनाई
द्वारा
स्वयं सहायता समूह चईजन



स्वयं सहायता समूह	::	जय दुर्गा माता समूह चईजन।
ग्रामीण वन विकास समिति	::	चईजन
वन परिक्षेत्र	::	थरोच
वन मण्डल	::	चौपाल

वित्तपोषित-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थिति की तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाइका सहायता प्रदान की)



क्र. सं:	विषय सूची	पृष्ठ सं:
1.	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2.	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4
3.	स्वयं सहायता समूह उपसमिति समूह के सदस्यों का ब्योरा निम्न प्रकार से है	5
4.	गांव की भौगोलिक स्थिति	5
5.	समूह के गठन की गतिविधि का परिपेक्ष	5
	क. व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों?	5-6
	ख. योजना के उद्देश्य	6
	ग. व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल है	6
	व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण	6-7
	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादों का विवरण	8
6.	उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण	8
7.	उत्पादन हेतु नियोजन	9
8.	विपणन	9
9.	श्रम का वितरण	9
10.	शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)	10
11.	उधम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना /आकलन	10
	अ) पूंजीगत व्यय	10-11
	(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)	11
	(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)	12
	(द) विक्रय मूल्य की गणना /आकलन (प्रति चक्र)	12
12.	निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदनी	13
13.	उधम हेतु लागत लाभ - विश्लेषण (एक चक्र के लिए)	13
14.	धन की आवश्यकता	14
15.	समूह के वित्तीय संसाधन	14
16.	धनराशि की व्यव	14
17.	स्वयं सहायता समूह के नियम	14-15
18.	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	16
19.	स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र	17

हिमाचल प्रदेश कृषि, पशुपालन और वन्यजीव, संरक्षण व पारिस्थितिक संरक्षण से सम्बन्धित है। राज्य में विभिन्न परिवारों की संख्या बढ़ी हुई है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में विवादात्मक पहाड़ियों से लेकर मध्य हिमाचल का क्षेत्र उंचाई और लंबे जीवन का क्षेत्र है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से सात जिलों में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जायका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमें विभिन्न जिला भी शामिल है।

राज्य प्राणी संरक्षण विभाग में शिमला, धौलांग, टिबोम, जुम्बाब, कोटखाई वन परिसरों में स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समितियों में इस परियोजना में उप समितियां बनाई गई है और अभी तक प्रथम चरण की उप समितियों में प्रायःक उप समिति में दो दो स्वयं सहायता समूह जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं का गठन किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जायका (JICA) प्रारंभ होने पर जैव विविधता प्रबंधन समिति चईजन के द्वारा उप समिति की सूक्ष्म योजना बनाई गई है। इस उपसमिति में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित किया गया है। जिसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) जय दुर्गा माता समूह चईजन भी शामिल हैं। समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन को बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, मफलर, कोटी आदि की बुनाई करने की गतिविधि का चयन किया।

उप समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है, परंतु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आजीविका में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यतः गेहूँ, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, पलम, खुमानी इत्यादि नकदी फसलें उगाते हैं। परंतु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) जय दुर्गा माता समूह चईजन ने बुनाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढ़ाने का निर्णय लिया है।

स्वयं सहायता समूह का गठन दिनांक 21-07-2022 को हो चुका था। इस समूह में कुल आठ (08) सदस्य हैं और सभी महिलाएं हैं इस समान सूची समूह को परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता से अवगत कराया गया और समूह की महिलाओं ने विस्तार से चर्चा करने पर स्थानीय प्रचलन एवं नवीनतम फैशन के अनुसार धागों से निर्मित महिलाओं पुरुषों को बच्चों के गर्म वस्त्रों की बुनाई करने का निर्णय लिया।

वैसे तो अधिकतर महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं, परंतु परियोजना की सहायता से प्रारंभ में स्वेटर जुराब, टोपी, कोटी, मफलर आदि की मशीनों पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर लगभग ₹3200 की राशि प्रति सदस्य पर एक महीने के परीक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि समूह में शामिल सभी महिलाएं सामान्य जाति से हैं तथा आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से संबंध रखती हैं।

शामिल सभी महिलाएं सामान्य जाति से हैं तथा आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से संबंध रखती हैं। अतः पूंजीगत व्यय का 50% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000 रिबॉल्विंग फंड दिया जाएगा। रिबॉल्विंग फंड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः उन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नगद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्य का आपसी बंटवारा करेंगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभों का बंटवारा करेंगे।

सदस्यों के पास आय सृजन के इस गतिविधि पर काम करने के लिए नवंबर से मार्च तक पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से संबंधित काम चरण पर होंगे। जिसके कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा इस प्रकार समूह के सदस्य औसत प्रतिदिन पांच 4-5 घंटे का समय निकालकर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएंगे।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी।

स्वयं सहायता समूह का नाम	जय दुर्गा माता समूह चईजन।
स्वयं सहायता समूह का MIS कोड	
ग्रामीण वन विकास समिति नाम	चईजन
वन परिक्षेत्र	थरोच
वन मंडल	चौपाल
गांव	चईजन
विकास खण्ड	शिमला
जिला	शिमला
समूह के सदस्यों की संख्या	08
समूह के गठन की तिथि	21-07-2022
समूह के मासिक बचत की दर	100
बैंक तथा शाखा का नाम	UCO बैंक नेरवा
बैंक खाता संख्या	11860110094730
समूह की कुल बचत	3200/-
समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-----
समूह के सदस्यों द्वारा वापस किए ऋण की स्थिति	-----



3. जय दुर्गा माता समूह चईजन उपसमिति समूह के सदस्यों का ब्योरा निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गांव	आयु	लिंग	श्रेणी	संपर्क
1	सरोज	राहुल	प्रधान	चईजन	26	स्त्री	सामान्य IRDP	9816515155
2	सरोजनी	शीशपाल	सचिव	चईजन	26	स्त्री	सामान्य IRDP	8544720604
3	सुमित्रा	कमलेश	उप प्रधान	चईजन	34	स्त्री	सामान्य IRDP	7807660184
4	वीरेंदरा	भागमल	कोषाध्यक्ष	चईजन	37	स्त्री	सामान्य IRDP	8894814436
5	निशा	संतोष	सदस्य	चईजन	27	स्त्री	सामान्य IRDP	9805266266
6	कृष्णा	नरवीर	सदस्य	चईजन	30	स्त्री	सामान्य IRDP	7807516120
7	पूजा	रजनीश	सदस्य	चईजन	22	स्त्री	सामान्य IRDP	7876672143
8	सत्या देवी	दलीप सिंह	सदस्य	चईजन	38	स्त्री	सामान्य BPL	9805462638

4. गांव की भौगोलिक स्थिति।

क्रमांक	जिला मुख्यालय से दूरी	146 किलोमीटर
1	मुख्य सड़क से दूरी	0 किलोमीटर
2	स्थानीय बाजार का नाम व दूरी	नेरवा 20 किलोमीटर
3	मुख्य बाजार से दूरी	20 किलोमीटर
4	अन्य मुख्य शहरों व कस्बों से दूरी	शिमला 146 किलोमीटर
5	बाजार जहां उत्पादों की बिक्री की जाएगी	शिमला, देहरादून, रोहरु, जुब्बल, नेरवा, ठियोग, चौपाल
6	गांव से संबंधित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से संबंधित हो	अधिकतर महिलाये हाथ की बुनाई का काम करती हैं

5. समूह के गठन को गतिविधि का परिपेक्ष

क. व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों?

चईजन गांव वन परिक्षेत्र थरोच के नेवल वन खंड में पड़ता है इस गांव में महिलाओं का पहले से कोई भी गुप नहीं था समूह की महिलाओं ने बुनाई का ही कार्य करने का निर्णय लिया है परियोजना के कार्यों की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे में बताया गया, व महिलाओं के रुचि दिखाने पर परियोजना में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। जय दुर्गा माता समूह चईजन समूह की सभी महिलाएं बुनाई का काम करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है समूह की अधिकतर महिलाएं पहले से हाथ की सिलाई से बुनाई का कार्य करती है परंतु बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और ना ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना में से बुनाई की मशीनों तथा उच्च परीक्षण की मांग की है

ख. योजना के उद्देश्य

- समूह के सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- लोगों के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाजार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

ग. व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल है

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब ,मफलर, टोपी ,बच्चों के गर्म वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

घ. व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण

- सामुदायिक गतिशीलता:-** इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामाजिक गतिशीलता के उपरांत आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थियों की छंटनी की गई है।
- समूह का निर्माण:-** स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का सर्व सहमति से चुचईजन किया गया है समूह की सदस्यों की सहमति से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।
- क्षमता का निर्माण:-** लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण कराया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्रावधान परियोजना द्वारा किया जाएगा ।



- d) **सिलाई मशीन इत्यादि का वितरण** :- समूह के सभी सदस्यों को अच्छे किस्म की मशीनें उपलब्ध करा करवाई जाए ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके तथा विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे।
- e) **बाजार से जोड़ना** :- महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गांव तथा आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए तथा बच्चों के लिए बुनाई का काम करेगी जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी उसके पश्चात वे बाजार में मांग के अनुसार अलग-अलग तरह के डिजाइन के पुरुषों महिलाओं व बच्चों के लिए गर्म धागों से बुने वस्त्र बनाकर निकट के बाजारों में बेचेगी अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है।
- f) **वित्तीय संस्थानों एवं संबंधित विभागों से जोड़ना** :- व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का पर्याप्त प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की ओर से सीधे बैंक को चुकाया जाएगा
- g) **बाजार की जानकारी** :- सिले सिलाए परिधानों की मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा आसपास के गांव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जाएगा।
- h) **निगरानी का तरीका** :- व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा इसके हर छह महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदंडों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
1. मांग में बढ़ोतरी व बाजार में उत्पादन को स्वीकार्यता ।
 2. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी।
 3. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि।
 4. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी।

ग्राम वन विकास समिति व सामाजिक लेखा परिक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय-समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे ।

i. **अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :-**

- क. समूह की महिलाएं अत्यंत निर्धन परिवारों से होने के कारण पूंजीगत व्यय का 50% भाग परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगा, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी बचत राशि से, रिवाल्विंग फंड में से अथवा बैंक ऋण लेकर कार्यों को आगे बढ़ाएगा।
- ख. कुल कार्यकर्ता 08 सदस्य।
- ग. तकनीकी सहायता गांव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा ।

j) **अनुमानित लाभ:-**



- महिलाओं के लिए गांव स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा ।
- इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकाले गए थोड़े समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा।
- समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घकालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।

आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादों का विवरण

1	उत्पाद का नाम।	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि।
2	उत्पाद की पहचान की पद्धति।	बाजार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श।
3	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति।	सहमति पत्र संलग्न है ।

6. उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी जुराबे इत्यादि की बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। जय दुर्गा माता समूह चईजन के 08 सदस्य यह कार्य करेगी परीक्षण के उपरांत समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेगी ।

1. **कोटी :-** समूह के दो सदस्य डिजाइन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेगे अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 3 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा । इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 20-25 कोटिया बना सकती है।
2. **स्वेटर;-** समूह के दो सदस्य डिजाइन वाली स्वेटर की बुनाई का कार्य करेगी प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 3 दिन में एक स्वेटर तैयार करेगी इस कार्य में से दो सदस्य 1 माह में 20-25 स्वेटर बना सकती है।
3. **बच्चों के सेट:-** समूह के दो सदस्य डिजाइन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेगी प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 1 बच्चों के सेट तैयार करेगी इस प्रकार से 2 सदस्य एक माह में 60 सेट बना सकती है।
4. **जुराबे:-** समूह के एक सदस्य डिजाइन वाली जुराब की बुनाई का कार्य करेगी प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 3 जुराब के सेट तैयार करेगी इस प्रकार से एक सदस्य एक माह में 90 जुराब के जोड़े बना सकती है।

5. टोपी समूह के एक सदस्य विजाइन वाली टोपी की बुनाई का कार्य कोठी पर्यक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 3 टोपी तैयार कोशी इस प्रकार से एक सदस्य एक माह में 90 टोपिया बना सकती है।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रतिमाह कार्य दिवस	30 दिवस (2 दिन औसतन 4 - 5 घंटे = एक टिहाड़ी)
7.2	प्रतिमाह काम करने वाले व्यक्ति	08 महिलाएं (120 टिहाड़िया)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	शिमला, देहरादून
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	शिमला, देहरादून

8. विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गांव व समीप के बाजार नेरवा, चौपाल, जुबबल, शिमला इत्यादि।
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर ,बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि।
8.3	ऋतु परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग 4 माह मांग कम होगा।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गांव व कस्बों की महिलाएं, पुरुष, व बच्चे, अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता पर्यटक होंगे।
8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा संपर्क स्थापित हस्तकला के शोरूम दुकानों में उत्पाद की बिक्री या बुनाई का काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकताएं	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी जुराबे इत्यादि इसके अतिरिक्त गरम धागों के मफलर स्कार्फ इत्यादि की बुनाई भी मांग के अनुसार करेगी।

9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बंटवारा करेंगे तथा किए गए कार्यों के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे, परंतु बाजार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या-क्या बनाना है निर्भर करेगा। इस व्यवसाय योजना में तैयार किए जाने वाले वस्तुओं की संख्या संकेतिक मात्र है जो बाजार की

मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बंटवारा एवं प्रत्येक सदस्यों की रुचि दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा सभी सदस्य बारी-बारी जैन-देन का हिसाब रखेंगे।

10. शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति:-

1. सभी समूह सदस्य समान व अनुकूल सोच रखते हैं
2. समूह के सदस्य छोटे पैमाने पर बुनाई का कार्य करेंगे

दुर्बलता:-

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है

अवसर:-

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखें।
2. स्थानीय बाजारों में गर्म वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने के कारण अधिक है।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीन इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी के महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिलाओं को 50% सहायता उपलब्ध है।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मौके पर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा।

जोखिम :-

1. समूह में आंतरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की संभावना हो सकती है।
3. फैशन के अनुसार परिवर्तन ना करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
4. अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा।

11. उधम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना /आकलन

अ) पूंजीगत व्यय

क्रमांक	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मूल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	बुनाई की मशीन	05	10,000	50,000	25,000	25,000
	योग			50,000	25,000	25,000

- अन्य छोटा आवश्यक सामान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही है।
- उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	परिवहन खर्चा	प्रति माह		L/5	1000
2	कमरे का किराया	प्रति माह		L/5	500
A कोटी (25 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	15	625	9375
2	अन्य बटन आदि	Nos	25	L/5	400
3	मजदूरी	दिहाड़ी	30	350	10500
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5/- प्रति रुपए		25	5	125
	कुल				20400/-
B स्वेटर (25 प्रतिमाह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	15	625	9375
2	अन्य बटन आदि	nos	25	L/5	400
3	मजदूरी	दिहाड़ी	30	350	10500
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन पैकेजिंग स्टीकर बिजली खर्चा इत्यादि 4 प्रति रुपए		25	5	125
	कुल				20400/-
C बच्चों के सेट (60 प्रतिमाह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	20	625	12500
2	अन्य बटन इलास्टिक आदि	nos	150	L/5	2000
3	मजदूरी	दिहाड़ी	30	350	10500
4	कुल				25000
D जुराब (90 प्रतिमाह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	6	625	3750
2	कच्चा माल नायलॉन धागा	किलोग्राम	15	250	3750
3	मजदूरी	दिहाड़ी	15	350	5250
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन पैकेजिंग स्टीकर बिजली खर्चा इत्यादि दो रुपए प्रति		90	2	180

	कुल				12930/-
E टोपी (90 प्रतिमाह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	10	625	6250
2	मजदूरी	दिहाड़ी	15	350	5250
3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन पैकेजिंग स्टिकर बिजली इत्यादि ₹2 प्रति		90	2	180
4	कुल				11480/-
	योग आवर्ती लागत A+B+C+D+E=				90410/-
	योग कुल आवर्ती व्यय (90410+1500)				91910/-
	आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत - मजदूरी)= 91910-42000				49910/-
	कुल व्यवसाय योजना लागत (पूँजीगत व्यय + आवर्ती व्यय)=50,000+49910				99910/-

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	कुल आवर्ती व्यय	99910/-
2	पूँजीगत व्यय पर 10% मूल्य हास	417
	योग	100327

(द) विक्रय मूल्य की गणना /आकलन (प्रति चक्र)

क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्च	कुल धनराशि	प्रति नग लागत	अपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1	कोटी	25	10500	9900	20400	816	25
2	स्वेटर	25	10500	9900	20400	816	25
3	बच्चों के सेट	90	5250	14500	19750	220	120
4	जुराबे	90	5250	7680	12930	144	180
5	टोपी	90	5250	6430	11635	129	180
6	योग	320	36750	48410	85115		

तैयार गर्म वस्त्रों सेट की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तब होगा



12. निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदनी

निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदनी						
क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या	लागत श्रम जमा खर्च	प्राप्त विक्रय राशि	लाभ / प्रतिमाह	कुल राशि
1	कोटी	25	816	1000	4600	25000
2	स्वेटर	25	816	1000	4600	25000
3	बच्चों के सेट	90	220	300	7200	27000
4	जुराबे	90	144	175	2790	15750
5	टोपी	90	129	150	1890	13500
	योग	320	2125	2500	21080	1,06,250/-

13. उधम हेतु लागत लाभ - विश्लेषण (एक चक्र के लिए)

क्रमांक	मद	धनराशि
1	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य हास	417
2	आवर्ती व्यय	49910
1)	किराया	500
2)	परिवहन	1000
3)	कच्चा माल धागा आदि	47800
4)	मजदूरी	36750
5)	औसत खर्चा रिपेयर मशीन पैकेजिंग्स डेक्कन बिजली इत्यादि	610
	योग	136987
3	कुल उत्पादन संख्या	320
4	उत्पादन की बुनाई की बिक्री से प्रतिमाह आय	1,06,250/-
5	कुल लाभ = 136987 - (417 + 99910)	36660/-
6	उत्पाद की बिक्री से सकल लाभ प्राप्त = कुल लाभ + (मजदूरी + कमरा किराया) = 36660 + (36750 + 500)	73910/-

- शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा

14. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता:

क्रमांक		धनराशि
1	पूँजीगत व्यय	50000/-
2	आवर्ती व्यय का 50%	24955/-
	योग	74955/-

15. समूह के वित्तीय संसाधन

क्रमांक	संसाधन का विवरण	धनराशि
1	पूँजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	45000/-
2	लाभार्थी अंश	15000/-
3	समूह की आंतरिक बचत	3200/-
4	योग	63200/-

16. धनराशि की व्यवस्था:-

- समूह की महिलाएं पूँजीगत लागत के लाभार्थी के अंश को तथा आवर्ती लागत को जमा राशि में से तथा नगद राशि के रूप में नगर इकट्ठा करेगी तथा अथवा रिवाल्विंग फंड का उपयोग करेगी या बैंक से ऋण लेगी
- जैसे-जैसे काम बढ़ेगा वे आवर्ती व्यय को भी लाभ के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से बाजार से खरीदारी करेगी ।
- ऋण लेने की सूरत में परियोजना ब्याज का 5% भाग सीधे बैंक को अतिरिक्त सहायता के रूप में जमा करेगा।



18. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : गर्म धागों से वस्त्रों की बुनाई ।
2. समूह का पता : ग्राम चईंजन, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. समूह के कुल सदस्य -08
4. समूह की पहली बैठक की तिथि- 21-07-2022
5. समूह में हर ₹100 के ऋण पर ₹5 रूपये ब्याज होगा।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे ।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा ।
9. सहायता समूह का खाता UCO बैंक नेरवा ।
10. समूह की बैठक में गैर हाजिर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कारण बताकर अनुमति लेनी होगी ।
11. समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवाते या तीन बैठकों तक समूह में गैर हाजिर रहते हैं, तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाजिर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा। अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिलकर देना होगा।
13. स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्वसम्मति से चुने जाएंगे।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं। यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
15. प्रधान सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है, अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो समूह को वापस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है, अन्यथा नहीं।
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकौती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम ₹1000 की राशि होनी चाहिए।
19. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
20. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
21. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशि समूह में बांटी जाएगी।
22. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।



23. समूह के सदस्यों की तस्वीरें-



सरोज
प्रधान



सरोजनी
सचिव



सुनिता
उप-प्रधान




विरेन्द्रा
कौशाल्य



पूजा
~~सहायिका~~



सहायिका



निशा



कृष्णा

प्रमाण पत्र

बुनाई आय सृजन गतिविधि के लिए स्वयं सहायता समूह जय दुर्गा माता समूह चईजन की व्यवसाय योजना ग्रामीण वन विकास समिति VFDS चईजन के सामान्य सदन के समक्ष बुनाई को अनुमोदन हेतु प्राप्त विभिन्न सदस्यों द्वारा लम्बी चर्चा और विचार विमर्श के बाद व्यवसाय योजना को स्वयं सहायता समूह में अपनाने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आगे कार्यान्वयन के ये अनुमोदित किया गया

दिनांक :- _____

स्थान:- चईजन

प्रधान Singh सचिव
स्वयं सहायता समूह जय
दुर्गा माता अध्यक्ष
स्वयं सहायता

प्रधान G Singh
ग्रामीण वन विकास समिति
वा.प्रधान ज. तै. नेरवा,
चित्तूर जिला
(ग्राम वन विकास समिति)

A. Chauram
Block Forest Officer
..... Block
..... Range
कोषाध्यक्ष
(ग्राम वन विकास समिति)

[Signature]
ए.एस. टी. यु. अधिकारी
थरोच

[Signature]
अनुमोदित
डी.एस. टी. अधिकारी
Deputy Conservator of Forests
Chopran Forest Division